न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर
पीठासीन अधिकारीः– सन्दीप कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 19/17

1. दौलतराम उम्र 62 साल पुत्र श्री दानाराम जाति जाट निवासी लिखमेवाला तहसील रायसिंहनगर
2. बनवारी लाल उम्र 55 साल पुत्र श्री दानाराम जाति जाट निवासी लिखमेवाला तहसील रायसिंहनगर

–प्रार्थीगण

बनाम

1. अंग्रेज सिंह उम्र 30 साल पुत्र श्री बलवीर सिंह जाति जटसिख निवासी लिखमेवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

–अप्रार्थी

राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251–क की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन

उपस्थितिः–
1. श्री रविन्द्र बिश्नोई वकील प्रार्थीगण
2. श्री ज्योतिष कुमार बिश्नोई, वकील अप्रार्थी

–: निर्णय :–

दिनांकः–09.09.2019

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना–पत्र में निवेदन किया कि प्रार्थीगण को उनकी जोत में पहूच के लिए चक 28 पीएस रायसिंहनगर के खाता सं. 03/33 पं.नं. 229/290 मु.नं. 12 के कि.नं. 1, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा पश्चिमी पासा स्वीकृत फरमाने हेतु निवेदन किया। अप्रार्थी ने अपने जवाब प्रार्थना–पत्र में निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने प्रस्तावित रास्ता के अलावा अन्य रास्ता उपलब्ध न होने के तथ्य मिथ्या व निराधार दर्ज करवाए है। चक 27 पीएस व 28 पीएस की आबादी के मध्य चक 27 पीएस के मु.नं. 37 कि.नं. 21 ता 25 चालू व स्वीकृत रास्ता आगे मु.नं. 38 कि.नं. 25, 24, 23, 22 तक चालू व स्वीकृत है। उससे आगे आवेदकगण वगैरह ने रास्ते के प्रयोजनार्थ बरूवे पंजीकृत बैयनामाजात दिनांक 16.07.19 चक 28 पीएस के मु.नं. 4 कि.नं. 1 में 0.025 है0, 2 में 0.013 है0 भूमि खरीद कर रास्ता के प्रयोजनार्थ उपयोग उपभोग की जा रही है। अतः प्रार्थना–पत्र मौजूद स्तर पर खारिज फरमाया जावे।

बहस पक्षकारान के अधिवक्तागण की सुनी गई। वकील अप्रार्थी ने लिखित बहस पेश की। भू.अ. निरीक्षक रायसिंहनगर से रिपोर्ट मंगवाई गई। रिपोर्ट भू.अ.नि. प्राप्त हुई। जिस पर वकील अप्रार्थी ने एतराज प्रकट किया। पुनः रिपोर्ट मंगवाई गई। भू.अ.नि. ने अपनी रिपोर्ट में मु.नं. 13 के कि.नं. 1, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक में 0.025 है0 रास्ता स्वीकृत करने की अनुशंषा की है। परन्तु वकील अप्रार्थी ने स्वयं मौका निरीक्षण करने हेतु निवेदन किया।

बहस उभय पक्ष के अधिक्तागण पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। वकील अप्रार्थी की इश्तदुआ पर स्वयं दिनांक 03.09.2019 को जनसुनवाई के दौरान मौका निरीक्षण किया। चक 28 पीएस के मु.नं. 2, 3, 4, 5 के लिए चक 27 पीएस के जोहड पायतन व रक्षा विभाग की भूमि में से होकर मौके पर चालू रास्ता पाया गया। प्रार्थीगण द्वारा अपनी भूमि चक 28 पीएस मु.नं. 2 व 17 में आने जाने हेतु अप्रार्थी की कृषि भूमि चक 28 पीएस मु.नं. 12 कि.नं. 1, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा रास्ता की मांग की है। परन्तु प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि में आवागमन हेतु चक 27 पीएस के जोहड पायतन व रक्षा विभाग की भूमि में से होकर मौका पर चालू रास्ता उपलब्ध है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र राज. काश्त. अधि. 1955 की धारा 251क(1) की शर्तों को

(सन्दीप कुमार)
उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner

पूरा नहीं करता हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के पास वैकल्पिक रास्ता की उपलब्धता के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता हैं।

लिहाजा उक्त विवेचन आधार एवं प्रार्थीगण के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251क(1) आर.टी.एक्ट खारिज किया जाता हैं।

निर्णय आज दिनांक 09.09.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सन्दीप कुमार)
उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

(सन्दीप कुमार)
उपखण्डाधिकारी, (राजस्व)
रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner